

फा.सं. : 1-13/हि.प्र.के.वि./संस्थापना/2022/5323-32

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Himachal Pradesh

(संस्थापना शाखा/Establishment Branch)

धर्मशाला-176215- 22 सितम्बर , 2022

परिपत्र

उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. C-19011/7/2017-Vig. दिनांक 31.12.2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार, CCS (Conduct) Rules के क्र. सं. 18 (1) (ii) और इस कार्यालय आदेश सं. 6-1/CUHP/GA/2011/1190-1201 दिनांक 09.03.2013 के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक शैक्षणिक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को हर वर्ष 31 जनवरी तक वार्षिक चल / अचल संपत्ति रिटर्न (Annual Property Return) जमा करना आवश्यक है।

2. DOPT द्वारा अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/11/2007-Estt.A दिनांक 27.09.2011 में वर्णित निर्देशों के अनुसार यदि कोई अधिकारी अपनी पिछले वर्ष की वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न अगले वर्ष की 31 जनवरी तक जमा करने में विफल रहता है तो उसे सतर्कता मंजूरी से वंचित कर दिया जाएगा जैसा कि भारत सरकार के निर्णय के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 के नियम 18 के तहत आवश्यक है।

3. उक्त नियमों के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के कर्मियों द्वारा दिसम्बर 2021 तक के Annual Property Return जमा कराये जाने अपेक्षित हैं। अतः सभी शैक्षणिक एवं शिक्षकेतर कर्मियों अपने Annual Property Return कार्यालय में 15 दिन के अंदर कुलसचिव कार्यालय में जमा करायेंगे।

(प्रो. विशाल सूद)

कुलसचिव(अतिरिक्त प्रभार)

निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित :

1. अधिष्ठाता अकादमिक, हि.प्र.के.वि. धौलाधार परिसर -I, धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि.प्र.।
2. समस्त परिसरों के सभी परिसर निदेशक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
3. विभिन्न स्कूलों/विभागों/केन्द्रों के अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/निदेशक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
5. वित्त अधिकारी, हि.प्र.के.वि. धौलाधार परिसर -II, धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि.प्र.।
6. परीक्षा नियंत्रक, हि.प्र.के.वि. धौलाधार परिसर -II, धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि.प्र.।
7. सिस्टम एनालिस्ट, हि.प्र.के.वि.- कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
8. जनसंपर्क अधिकारी, हि.प्र.के.वि. धौलाधार परिसर -I, धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि.प्र.।
9. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय, हि.प्र.के.वि. धर्मशाला -कृपया माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
10. विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं शिक्षकेतर कर्मियों।

कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)